श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1085

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

बाल मजदूरों का आंकड़ा

1085. श्री के. गोपीनाथ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बाल श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए केवल जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर रहती है और यदि हां, तो स्वतंत्र सर्वेक्षण न कराने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने अगली जनगणना में 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों के आंकड़ों को शामिल करने पर विचार किया है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नियमित सर्वेक्षण, प्रवर्तन, डेटा संग्रहण और राज्य कार्य योजनाओं के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम की निगरानी, प्रवर्तन में सुधार और उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हितधारक हैं। बाल और किशोर (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की शक्ति और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेटों को प्रदान की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश/परामर्श जारी करता है।

बाल श्रम की मॉनिटरिंग, प्रवर्तन और उन्मूलन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का अधिनियमन किया गया है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने या रोजगार पर पूर्ण प्रतिषेध और खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के किशोरों के नियोजन पर प्रतिषेध शामिल है। इसमें अधिनियम के उल्लंघन पर नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

जारी..2/-

(ii) बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1988 का निर्माण। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और कार्य बल बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि अधिनियम के उपबंधों को उचित रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(iii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्रवाई बिन्दुओं की गणना करते हुए आदर्श राज्य कार्य योजना तैयार करना।

(iv) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का कार्यान्वयन, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है।

जनगणना की रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (आरजीसीसीआई) द्वारा प्रकाशित की जाती है। जनगणना में सभी व्यक्तियों की जानकारी एकत्र की जाती है चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, जाति, पंथ, क्षेत्र, मूल या धर्म के हों। जनगणना के दौरान, 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों सहित पूरी आबादी के लिए कामगारों के प्रकार यानी मुख्य कामगारों, सीमांत कामगारों और गैर-कामगारों के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है।

****